न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(59)

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1518—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 04—04—2014 के द्वारा न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग के प्रकरण कमांक 46/अ—74/2011—12.

.....

1—विजय प्रसाद पुत्र गरूण प्रसाद मिश्रा (मृत)
वरिसानः—
अ—अविनाश कुमार मिश्रा
ब—अनिल कुमार मिश्रा
स—अक्षय कुमार मिश्रा
पुत्रगण विजय कुमार मिश्रा
सभी निवासी ग्राम धुरवार तहसील
सोहागपुर जिला शहडोल म0 प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—बृजेन्द्र कुमार पुत्र नन्द कुमार ब्राहम्ण
2—काशीराम 3—बब्बू पुत्रगण ग्यादीन गौड़
सभी निवासी ग्राम धुरवार तहसील
सोहागपुर जिला शहडोल म0 प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री कुंअर सिंह कुशवाह अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जे0 पी0 एस बघेल, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 06-11-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह अपील न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 04—04—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण कमांक 137/निगरानी/2008–09 दिनांक 16.1.12 को अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। उनके द्वारा पुर्नास्थापन हेतु संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत अंतिरिम आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया था। आयुक्त शहडोल संभाग द्वारा दिनांक 4.4.14 को परिसीमा अधिनियम–5 विलंब होने के कारण निरस्त किया तथा पुर्नास्थापन आवेदन भी निरस्त किये जाने से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा आगे अपने तर्क में कहा गया है कि रिकार्ड की सूक्ष्मता व परिस्थितियों को समझे बिना जो आदेश पारितकिया वह निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि रेस्टोरेशन आवेदन पत्र एवं लिमिटेशन आवेदनपत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत कर अभिवचन किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह माना है कि पेशी दिनांक 16.1.12 के स्थान पर 16.2.12 अंकित हो गई थी । बाद में पता चला कि प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की अपील स्वीकार कर आयुक्त शहडोल संभाग का आदेश दिनांक 4.4.14 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आयुक्त शहडोल संभाग के न्यायालय में वकालतनामा पर तीन–तीन अधिवक्तागण के हस्ताक्षर है अगर वह चाहते तो एक अधिवक्ता उक्त पेशी पर उपस्थित हो सकता था उनका यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि डायरी में गलत पेशी नोट हो गई थी। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि आयुक्त शहडोल संभाग का आदेश उचित एवं सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा कहा गया है कि धारा– 35 (3) का आवेदन परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत अंतिरिम आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया था उसमें दिन प्रतिदिन का कारण नहीं बताया गया था इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रकरण निरस्त किया है वह उचित एवं सही है। अंत में निवेदन किया गया है कि आयुक्त शहडोल का आदेश स्थिर रखा जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का वारीकी से अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के आवेदन अनुसार उन्हें प्रकरण के खारिज होने की जानकारी 16.2.12 को हुई तब वे दिनांक 1.3.12 को प्रकरण के पुर्नस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये। दिनांक 16.2.12 को जानकारी के बाद 17.2.12 से आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व तिथि तक के दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के तहत विलंब क्षमा करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया था, **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये सामान्यतः विलंब मांफ किया जाना चाहिये। ए0 आई0 आर0 1987 एस0सी0 1353 से अनुसरित।** आवेदन में प्रत्येक दिवस के विलंब को स्पष्ट होना नहीं पाया गया विलंब क्षमा करने से इन्कार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिन प्रतिदिन का कारण नहीं दर्शाने के कारण आयुक्त शहडोल संभाग द्वारा अपने पारित आदेश में त्रुटि की गई है। वह चाहते तो प्रकरण को पुर्नस्थापन करके मूल प्रकरण को गुण दोष पर निराकरण किया जा सकता था।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर उपरोक्त न्याय दृष्टांत के परिपालन में न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग के प्रकरण कमांक 46/अ–74/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 4.4.14 निरस्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि प्रकरण रेस्टोर्ड कर मूल प्रकरण कमांक 137/निगरानी/2008–09 में गुणा–गुण पर आदेश पारित किया जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर